प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

ता... हु...	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/9/25	पत्रावली पेश हुई [illegible] उपखण्ड अधिकारी राज्य [illegible] व्यस्त है [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 15/9/25 को पेश हो।
15/9/25	पक्षकारान उप. अन्य राजकार्य मे व्यस्त होने से निर्णय नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 6/10/25 को पेश हो।
6/10/25	[illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 17/10/25 को पेश हो।
17/10/25	[illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 10/11/25 को पेश हो।
10/11/25	[illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 27/11/25 को पेश हो।
27/11/25	पक्षकारान उप. प्रकरण मे बहस सुने एक माह से अधिक गुजर जाने से पुन: बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 16/12/25 को पेश हो।
16/12/25	पक्षकारान उप. पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पक्षकारान के साक्ष्य, दस्तावेज एवं बहस उभयपक्ष पर मनन करते हुए वाद मे कायम तनकीयात के विवेचन से वाद मे कायम तनकीयो मे वादीगण

प्र.सं. .... / दावा / प्र.पत्र / ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
द्वारा अपने पिता रामकरण उर्फ देवकरण को मामो जी का पुत्र होना एवं रामकरण व देवकरण एक ही व्यक्ति होना सिद्ध करने में असफल रहने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आ. मि. दिया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से कम होकर वाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

तारीख दायरा 01.06.2009 | तारीख फैसला 16.12.2025

...0
/दावा/2009

रामस्वरूप 29 वर्ष।

2. हेमराज आयु 27 वर्ष
पिसरान स्व. श्री रामकरण उर्फ देवकरण।

3. सीमा आयु 25 वर्ष पुत्री श्री रामकरण उर्फ देवकरण।

4. पारीबाई बेवा रामकरण उर्फ देवकरण जातियान बलाई (बैरवा) निवासीगण ग्राम अखेड़ तहसील बूंदी (राजस्थान)।

– वादीगण

बनाम

1. मोडू आयु 50 वर्ष आत्मज हीरा।
2. घीसीबाई आयु 45 वर्ष पत्नी पूरणलाल पुत्री हीरा जातियान बलाई (बैरवा) निवासीगण ग्राम गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
3. नाथीबाई आयु 49 वर्ष पत्नी महावीर पुत्री हीरा जाति बलाई (बैरवा) निवासी ग्राम लबान तहसील के0पाटन जिला बूंदी (राज0)।
4. चतरूबाई आयु 70 वर्ष बेवा हीरा जाति बलाई (बैरवा) निवासी गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
5. सोनू आयु 10 वर्ष पुत्र दुर्गालाल।
6. मनीषा आयु 07 वर्ष पुत्री दुर्गालाल नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मोहनी बाई पत्नी स्व0 दुर्गालाल जाति बलाई (बैरवा) निवासीगण ग्राम गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)
7. मोहनी बाई पत्नी स्व0 दुर्गालाल जाति बलाई (बैरवा) नि0 ग्राम गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
8. ग्यारसीलाल आयु 45 वर्ष।
9. छीतरलाल आयु 40 वर्ष।
10. महावीर आयु 35 वर्ष पिसरान भज्जा जातियान बलाई (बैरवा) नि0इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन जिला बूंदी।
11. सोसर बाई आयु 70 वर्ष बेवा भज्जा जाति बलाई (बैरवा) निवासी इन्द्रपुरिया तहसील के0पाटन जिला बूंदी।
12. हजारी बाई आयु 40 वर्ष पत्नी मोहनलाल मेहरा पुत्री भज्जा जाति बलाई बैरवा निवासी मकान नम्बर सी–342, गेट नम्बर 3, नवजीवन संघ कॉलोनी, नैनवॉ रोड़, बूंदी तहसील व जिला बूंदी।
13. सूज्या उर्फ सुक्खा आयु 70 वर्ष आत्मज माधो जाति बलाई (बैरवा) निवासी रायपुरिया डी0सी0एम0 कॉलोनी, कोटा मृतक जर्ये कायम मुकामः–
    - 13/1. रामदेव आयु 42 वर्ष।
    - 13/2. बृजमोहन आयु 40 वर्ष।
    - 13/3. कन्हैयालाल आयु 38 वर्ष पिसरान सुज्या उर्फ सुक्खा जातियान बलाई (बैरवा) निवासीगण बैरवा बस्ती, माता जी के मंदिर के पास, रायपुरिया, डी0सी0एम0 कॉलोनी, कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
    - 13/4. मूर्ति बाई पुत्री सुज्या उर्फ सुक्खा पत्नी कैदार जाति बलाई (बैरवा) निवासी बालाजी के मंदिर के पास, बोरखेड़ा, कोटा।
14. रणजीत सिंह आयु 55 वर्ष आत्मज रामकृष्ण कछावा जाति जीनगर निवासी सरस्वती कॉलोनी, पुराने आर0 टी0 ओ0 दफतर के पास, कोटा।
15. राजस्थान जर्ये तहसीलदार महोदय, तहसील बूंदी जिला बूंदी।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री मुकेश शर्मा
अधिवक्ता प्रतिवादीः– पेरोकार सरकार

-- : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,89,183,188 आर.टी.एक्ट

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,183,188, आर.टी.एक्ट. के तहत प्रस्तुत किया है। जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वाके ग्राम संवर तहसील तालेडा में कृषि भूमि खसरा सं. 294 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खं.सं. 342, रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, ख.स. 344 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खं.सं. 347 रकबा 5

स्वा है। उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 के दादा व प्रतिवादीगण 13 के भाई माधो ा जाति बैरवा निवासी गिरधरपुरा के खाते स्वामित्व की कृषि भूमि है जो कि पैतृक संपति है। वादीगण 1 3 के दादा व वादी क्रम 4 के ससुर की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुकी है। माधो जी की मृत्यु के समय गण 1 लगायत 3 के पिता व वादी क्रम 4 के पति रामकरण उर्फ देवकरण आ0 माधो अपनी माता के गर्भ में होने कारण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि माधो जी के जीवित पुत्रों हिरा, भज्जा, व सूज्या के फौती ामांतकरण खुलवा कर अपने नाम दर्ज करवा ली है। माधो जी के पुत्र हिरा व भज्जा की मृत्यु हो जाने से उनके वैध वारिसान प्रतिवादीगण 1 लगायत 12 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रतिवादी 13 माधो जी के वैध पुत्र होने के कारण उक्त कृषि भूमि उनके नाम दर्ज है। वादीगण द्वारा उक्त विवादित भूमि बाबत् जानकारी रिकॉर्ड की नकल लेने पर हुई। प्रतिवादी 1 लगायत 13 ने प्रतिवादी क्रम 14 के पक्ष में वाद वर्णित कृषि भूमि का विक्रय पत्र के माध्यम से बैचान कर दिया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 13 जोकि उक्त कृषि भूमि में से वादीगण के हिस्से को बैचने का अधिकार नहीं रखते है। वादीगण को अपने दादा माधो जी की कृषि भूमि में से पारिवारिक बंटवारे के समय 2 बीघा व कुछ बिस्वा भूमि दी थी। जिस पर वादी का काबिज कास्त थे। जिससे वादीगण व वादीगण के पिता का जिविकोपार्जन नहीं होने से पिता मेहनत मजदूरी करने हेतु अखेड चले गये एवं उक्त भूमि का जुवारा प्रतिवादीगण वादीगण को देते रहे। किन्तु 1–2 वर्ष से जुवारा कास्त देने से मना करते रहे व भूमि पर कब्जा कर लिया। विवादित भूमि में वादीगण को खातेदार की हैसियत से अपने–अपने नाम खाते इन्द्राज करवाने के लिए अधिकार घोषणा की डिग्री प्राप्त कर विवादित भूमि पर 1/4 हिस्से का विभाजन करवा कर मौके पर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया।

प्रतिवादी सं. 3,5,6,7, 10 व 13 सुज्या के कायम मुकाम की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 14 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने अपने आप को बलाई (बैरवा) होना प्रकट किया है। जग विख्यात है कि बलाई व बैरवा दो भिन्न भिन्न जातियां है। ऐसा प्रतित होता है कि वादीगण ने प्रतिवादी रणजीत सिंह के अलावा शेष प्रतिवादीगण से मुजरीमाना कपट संधि करके यह दावा प्रस्तुत किया है। वादीगण का प्रतिवादी क्रम सं. 1 लगायत 13 से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। प्रतिवादी कम 1 से 13 ने दो भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों द्वारा भूमि ख.स. 342, ख.सं.347 पूरे विक्रय की है। शेष भूमि ख.सं. 344 व ख.सं. 294 का 1/3 भाग उत्तरदाता प्रतिवादी को विक्रय किये है। जिस पर वक्त निष्पादन विक्रय पत्र कब्जा संभला दिया गया। विक्रय पत्र स्वाधिकार से निष्पादित किये गये हैं। वाद मूल रूप से विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का है। जिसका श्रवणाधिकार दीवानी न्यायालय को है। अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं. 15 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित भूमि में वादीगण का नाम अंकित नहीं है। अतः वादीगण का व प्रतिवादीगण का क्या संबंध है, इसको प्रमाणित करने का भार उभय पक्षकारों पर निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित तथ्य में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विक्रय किया जाना प्रकट है परन्तु अधिकार संबंधी वादीगण को प्रमाणित करने का भार उसमें ही निहित है, प्रतिवादी सं. 15 का कोई संबंध नहीं है। वाद पत्र की चरण सं. 8 में वर्णित तथ्य प्रमाणित होने पर एवं प्रमाणित के पश्चात वैध उतराधिकारी घोषित किया जा सकता हैं। वाद पत्र में प्रतिवादी सं. 15 को बनाने से पूर्व दफा 80 का नोटिस राज्य सरकार को दिया जाना आवश्यक हैं। इसके अभाव में दावा पोषणीय नहीं है।

प्रकरण में दिनांक 23.05.2013 को निम्नांकित तनकीयात कायम की गई जो निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से पर अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे। (वादीगण)
2. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण का वाद पत्र की चरण सं. 1 में विर्णत कृषि भूमि का विधिवत बंटवा कर डिक्री प्राप्त करे। (वादीगण)
3. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से 1/4 से प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं वादीगण के कब्जा कास्त में दखल अंदाजी प्रतिवादी नहीं करे। इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे।
4. आया वादीगण के वाद पत्र का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। (प्रतिवादी–15)
5. अनुतोष।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं रामस्वरूप आ0 स्व0 रामकरण का शपथ पत्र पेश कर वाद तथ्यों का दोहराते हुऐ वाद वर्णित भूमि में अपने पिता का 1/4 हिस्से की डिक्री करवा कर अपने नाम दर्ज एवं विभाजन करवा कर पृथक से कब्जा दिलवाने का निवेदन किया। शपथ पत्र के समर्थन में प्रस्तुत पंचनामा प्र. 1, जमाबन्दी समवत् 2063 से 2066, प्रदर्श 2 अंकित किये गये। वकिल प्रतिवादी सं. 14 ने जिरह की, जिसमें गवाह रामस्वरूप ने कहा कि मेरे पिता का नाम रामकरण है। मेरे पिता का जन्म वर्ष पता नहीं है। मेरे पिता 4 भाई थे। मेरे दादा का नाम हीरा है, फिर कहा कि माधो जी है। यह कहना गलत है कि मेरे पिता रामकरण जी माधो जी के पैदा नहीं हुऐ। माधो जी का देहान्त कब हुआ, पता नहीं। माधो के मरने के बाद तीनो भाईयों के नाम नामांतकरण खुला, उसकी मेरे पिता, मेरी कोई आपत्ति नहीं हुई। यह मुझें याद नहीं कि यह जमीन रणवीर सिंह जी को बैचान कर दी। मेरे दादा जी मरे तब मेरे पिता गर्भ में थे। यह कहना गलत है कि पूरी जमीन रणजीत सिंह जी को बैच दी हो। मेरा हिस्सा नहीं बैचा। मोडू, घीसी, नाथी बाई, चतरा बाई, मोहनी बाई, ग्यारसी लाल, छितर लाल, महावीर, सोसर बाई, हजारी बाई व सुस्या ने अपना हिस्सा रणजीत सिंह जी को बैच दिया। मेरे पिता का मेरे दादा जी की जमीन में नाम दर्ज नहीं होने से यह दावा किया है।

साक्ष्य में वादी की ओर से छितर लाल आ0 नारायण निवासी अखेड का शपथ पत्र पेश किया। दौराने जिरह गवाह ने कहा कि विवादित भूमि मैने देख रखी है। माधो जी मरे तब रामकरण जी पैदा नहीं हुऐ। रामस्वरूप अखेड रहता है। मेरे ब्याई जी है। इसलिए गिरधरपुरा में जाता आता रहता हूं। वादी अपनी जमीन को जुवारे पर जुपाता है। यह कहना गलत है कि मैं वादीगण का रिस्तेदार होने से झूठे ब्यान देने आया हूं।

प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कम 14 रणजीत सिंह आ0 रामकिशन ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारों से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि एवं उनके हिस्से की भूमि दो रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा खरीद की थी। तब से मैं बहैसियत मालिक काबिज कास्त हूं। उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद वर्णित आराजी पर कोई हक अधिकार नहीं है।

वाद का तनकी वार निर्णय निम्नानुसार हैः–

1. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से पर अधिकार घोषणा की डिक्री प्राप्त करे। (वादीगण

   इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण का था। किन्तु वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में अपने कथनों के अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेज जिससे यह प्रमाणित हो कि रामकरण माधो जी का पुत्र हो, प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र एवं शपथ पत्र में रामकरण उर्फ देवकरण अंकित किया जाना एवं वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह बयान में प्रदर्श 1 पंचनामा का जिक किया, किन्तु उक्त पंचनामे का अवलोकन करने पर पंचनामें में माधु लाल के 4 पुत्र व 2 पुत्रियां होना अंकित है। किन्तु रामकरण का नाम माधु लाल के पुत्रों ने अंकित नहीं होने से यह पंचनामा संदेहास्पद होने से प्रमाणित दस्तावेज के रूप में स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः यह तनकी वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में सिद्व होती है।

2. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण का वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवारा कर डिक्री प्राप्त करे। (वादीगण)

   इस तनकी को सिद्व करने का भार भी वादीगण पर था। वाद पत्र में तनकी सं. 1 वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने से वादीगण बंटवारा करवाने के अधिकारी प्रमाणित नहीं होने से यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में सिद्व होती है।

3. आया वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से 1/4 से प्रतिवादीगण को बेदखल करने एवं वादीगण के कब्जा कास्त में दखल अंदाजी प्रतिवादी नहीं करे। इस बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे।

   इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वाद पत्र में ऐसा कोई साक्ष्य प्रमाण पत्र जो कि यह सिद्व करे कि रामकरण माधो जी का पुत्र है, प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मात्र पंचनामा प्रस्तुत किया है। जिसमें माधो जी के 4 पुत्र हीरा लाल, भज्जा, सुक्का व देवकरण अंकित है। एवं वादीगण ने वाद पत्र में अपने पिता जिसका नाम रामकरण उर्फ देवकरण अंकित किया, किन्तु रामकरण व देवकरण एक ही व्यक्ति है, यह कहीं सिद्व नहीं किया है। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नियमान्तर्गत जरिये विकय पत्र प्रतिवादी सं. 14 को बैचान किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण को वाद वर्णित आराजी पर अधिकार

मानते हुऐ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त तनकी वादी विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

क्या वादीगण के वाद पत्र का श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण द्वारा यह कहना कि वाद वर्णित आराजी का बैचान जरिये विक्रय पत्र हुआ हैं एवं विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना वादीगण का वाद वर्णित आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। यह तथ्य पैतृक कृषि भूमि पर लागु नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी पक्षकार उत्तराधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में अपने हिस्से से अधिक भूमि उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त करता है तो शेष उत्तराधिकारी उक्त भूमि पर अपने हक हेतु राजस्थान टीनेंन्सी एक्ट की धारा 88,89 के तहत न्यायालय में चाराजोहि कर सकता है। जो कि राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध वादी के पक्ष में सिद्ध होती है।

5. अनुतोष – पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पक्षकारान के साक्ष्य, दस्तावेज एवं बहस उभय पक्ष पर मनन करते हुऐ वाद में कायम तनकीयात के विवेचन से वाद में कायम तनकियों में वादीगण द्वारा अपने पिता रामकरण उर्फ देवकरण को माधो जी का पुत्र होना एवं रामकरण व देवकरण एक ही व्यक्ति होना सिद्ध करने में असफल रहने से वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलाज सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा